श्रीधर सी० भा०प्र०से० जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 04.03.2011 को 10.30 बजे पूर्वा० अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा का किए गये निरीक्षण की टिप्पणी

1.0 भवन :—

अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा का निरीक्षण किया। उक्त अवसर पर उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा, अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा सह अध्यक्ष, रोगी कल्याण समिति उपस्थित थे। अनुमंडलीय अस्पताल के परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगहा 1 का भी भवन स्थित है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अनुमंडलीय अस्पताल के भवन के साथ–साथ परिसर में नए ओ०पी०डी० भवन निर्मित है। अनुमंडल अस्पताल के भवन के बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगहा–1 का पुराना भवन स्थित है जिसमें वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्यालय कार्यरत है। अनुमंडल अस्पताल के प्रथम तल्ला पर एक कमरे में अनुमंडल अस्पताल का कार्यालय कार्यरत है। शेष कमरों में दो ए०एन०एम० तथा एक रसोई सहायक अपने परिवार के साथ रह रहे हैं जिसके कारण अस्पताल में मरीजों के लिए जगह का अभाव है।

अनुमंडलीय अस्पताल का रसोई भवन वर्तमान में अकार्यरत है। उपाधीक्षक के द्वारा बताया गया कि इस भवन को डा० नीत वर्मा द्वारा आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है जो वर्तमान में सिविल सर्जन कार्यालय, बेतिया में प्रतिनियुक्त हैं। इनके बारे में यह बताया गया कि ये सर्जन हैं तथा पूर्व में मरीज के परिजनों द्वारा इनके साथ मार--पीट की घटना हुई थी जिसके बाद सिविल सर्जन कार्यालय में प्रतिनियुक्त हैं।

भवन के पीछे तीन गैरेज का एक भवन बना हुआ है जिसमें पुराने वाहन रखा गया बताया गया। इन पुराने वाहनों को रद्दीकरण की कार्रवाई करने का निदेश उपाधीक्षक को दिया गया। एक कम्पाउंडर का आवास पुराना और जर्जर है। तीन चिकित्सक का आवास बना हुआ है जिसमें वर्तमान में चिकित्सक रह रहे हैं।

परिसर में एक पुराना निर्माणाधीन भवन स्थित है जिसका सफाई कर उपयोग में लाया जा सकता है। उक्त भवन का विडियोग्राफी कराकर वर्तमान में कितना कार्य किया गया है उसका मापी कराकर उसकी सफाई करते हुए उसमें रोगी कल्याण समिति का कार्यालय स्थानांतरित किया जाय। आवश्यकतानुसार अन्य कार्यालय भी उसमें स्थानांतरित किया जाय।

निरीक्षण के क्रम में पुराने बेड एवं टेबुल कतिपय संख्या में परिसर में एवं छत पर फेंका हुआ पाया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि सामान्य मरम्मति से उसे उपयोग में लाया जा सकता है। उपयोगी सामग्री को अलग कराकर मरम्मति कराते हुए उसे उपयोग में लाएं एवं अनुपयोगी सामग्री को हटा दें। अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष, रोगी कल्याण समिति इसे अपने देख रेख में सुनिश्चित करेंगे।

प्रथम तल के बंद कमरे को खोल कर देखने पर पाया गया कि उसमें आवासन हेतु बेड लगा हुआ है। उपाधीक्षक द्वारा बताया गया कि श्री रमाकांत यादव, रसोई सहायक उस कमरे में आवासन करते हैं जो कतई उचित नहीं है। उसी प्रकार श्रीमति प्रतिमा, ग्रेड ए० नर्स एवं सुविधा कुमारी, ग्रेड ए० नर्स द्वारा भी अस्पताल भवन का एक-एक कमरा आवासन हेतु अपने कब्जे में रखा गया है,

जिससे आम मरीजों को, उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उपाधीक्षक उसे हटाकर उस कमरे को मरीजों के उपयोग में लाएं।

निरीक्षण के क्रम में प्रथम तल के एक कमरे में पुराने कागजात एवं अनुपयोगी सामग्री रखा हुआ पाया गया। कागजातों को वर्षवार, विषयवार वर्गीकरण कर संधारित करने का निदेश दिया गया। इसी कमरे में किरासन तेल से भरा दो बड़ा डब्बा एवं तीन गैस सिलेण्डर पाया गया जिसमें एक सिलिण्डर भरा हुआ एवं दो खाली था। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। उसे आज ही हटाकर खाली कर दें। अस्पताल भवन में अग्निशमन सुरक्षा यंत्र लगाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन : उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल/अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा।

2.0 शौचालय :–

अस्पताल परिसर में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा शौचालय कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया है परंतु अभी तक हस्तांतरित नहीं करने के कारण उसका उपयोग मरीजों एवं उनके परिजनों द्वारा नहीं किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एक सप्ताह के अंदर हस्तांतरण करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी–सह अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति इसे सुनिश्चित करायेंगे।

अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0/अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा।

3.0 पेयजल :–

पेयजल आपूर्ति हेतु परिसर में पम्प हाउस का निर्माण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा किया गया है परंतु अभी तक पंपिंग एवं पेयजल आपूर्ति प्रारंभ नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल ने बताया कि 3 फेज बिजली कनेक्शन से अस्पताल प्रशासन को ही जोड़ना है। उपाधीक्षक एवं अनुमंडल पदाधिकारी सह–अध्यक्ष इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– उपाधीक्षक/अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा–सह–अध्यक्ष, रोगी कल्याण समिति।

4.0 ऑपरेशन थियेटर :–

ऑपरेशन थियेटर के निरीक्षण में पाया गया कि बिजली का वायरिंग सही नहीं है, कई जगहों पर उखड़ा हुआ है, इसे ठीक करने की आवश्यकता है। ऑपरेशन थियेटर में पानी एवं लाईट की व्यवस्था भी आवश्यकतानुसार नहीं पाया गया। कमरे की खिड़की में लगा हुआ सीसा टूटा हुआ पाया गया। इसे बदलने का निदेश दिया गया। इस कमरे के बाहर के कमरे में भी बिजली वायरिंग एवं खिड़की के सीसे टूटे हुए हैं जिसे ठीक करने की आवश्यकता है।

अनुपालन :– उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल

5.0 ओ0पी0डी0 :–

नए ओ0पी0डी0 भवन का निर्माण किया गया है जिसमें ग्राउंड तल एवं प्रथम तल अवस्थित है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि वर्तमान में कतिपय कमरों का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया गया बताया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि जलापूर्ति सुविधा हेतु जो **Plumbing** का कार्य किया गया है उसमें नल नहीं लगाया गया है। निरीक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि भवन का विधिवत रूप से अस्पताल प्रशासन

को हस्तगत नहीं कराया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष, रोगी कल्याण समिति को निदेश दिया गया कि भवन का सघन निरीक्षण कराकर कमियों को चिन्हित करायें एवं चिन्हित कमियों को दूर कराकर दिनांक 31.03.2011 के पूर्व विधिवत रूप से अस्पताल प्रशासन को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन : उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल/अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा/का0अ0, भवन निर्माण, बेतिया।

6.0 सीटी स्कैन, पैथोलॉजी तथा एड्स कंट्रोल :–

ओ0पी0डी0 भवन में सीटी स्कैन, पैथोलॉजी तथा एड्स कंट्रोल के कमरे चिन्हित हैं। वर्तमान मे पैथोलॉजी लैब के द्वारा मात्र ब्लड एवं यूरिन की जांच की जा रही है। इस प्रकार इस अस्पताल में पूर्ण रूप से पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड का मशीन उपलब्ध है परंतु तकनीशियन की अनुपलब्धता के कारण अकार्यरत है। अल्ट्रासाउंड मशीन अनुपयोगी पड़ा हुआ है।

7.0 एड्स नियंत्रण :–

एड्स कंट्रोल के कार्यक्रम के **VCTC** उपस्थित पाये गये। उनके द्वारा बताया गया कि लैब तकनीशियन का स्थानांतरण बेलसंड हो जाने के कारण वर्तमान में मात्र काउंसिलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार टेस्ट कीट रहने के बावजूद तकनीशियन अनुपलब्ध रहने के कारण कोई जांच की कार्रवाई एड्स कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं हो पा रहा है। **LT** की पदस्थापना हेतु पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुमंडल अस्पताल के परिसर में उपलब्ध जगह, सुविधाओं का पूर्ण रूपेण रोगियों को लाभ नहीं उपलब्ध हो पा रहा है।

8.0 यक्ष्मा :–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगहा 1 के भवन परिसर में आर0एन0टी0सी0पी0 कार्य का लैब कार्यरत है। निरीक्षण के दौरान ओ0पी0डी0 के चिकित्सक उपस्थित पाए गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मात्र 11 नए रोगी का पहचान किया गया है। आर0एन0टी0सी0पी0 लैब में पर्याप्त मात्रा में दवा एवं रसायन उपलब्ध है तथा माइक्रो स्कोप भी कार्यरत है। आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम के अंतर्गत एक्स–रे मशीन उपलब्ध है जो वर्तमान में अकार्यरत है।

9.0 एक्स–रे :–

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत एक्स–रे मशीन स्थापित किया गया है जो सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक्स, पटना के द्वारा संचालित किया जाना है। उपाधीक्षक द्वारा बताया गया कि यह केन्द्र पूर्व में संचालित था परंतु पर्चा अनुपलब्ध रहने के कारण कार्य नहीं कर रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति, बगहा को निदेश दिया गया कि पर्चा का निर्धारित गुणवत्ता और मापदंड के अनुसार स्थानीय स्तर पर मुद्रण कराकर यूनिक सिरियल नं0 अंकित कर मुद्रण की कार्रवाई रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कराकर पर्चा उपलब्ध करायें एवं 15 दिनों के अंदर इसे चालू करें। चूंकि विगत चार पांच महीने से यह केन्द्र अकार्यरत है तथा बार बार उपाधीक्षक के द्वारा

सिविल सर्जन से निदेश की मांग की जा रही है और सिविल सर्जन के द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। अतः रोगियों के हित में तथा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्धारित मापदंड के हिसाब से रोगी कल्याण समिति के माध्यम से पूर्जा छापवाकर कार्य शुरू करने का निदेश दिया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति को निदेश दिया गया कि पैथोलॉजी लैब का आउटसोर्स एजेंसी को नोटिश निर्गत करें एवं अनिवार्य रूप से 22 मार्च, 2011 से पूर्व दोनों को प्रारंभ करा दें।

अनुपालन : उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल/अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा।

10.0 लेखा प्रबंधन :–

अनुबंध के आधार पर लेखापाल का चयन अनुमंडल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगहा–1 में नहीं किया गया है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारी द्वारा लेखा का संधारण किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि स्वास्थ्य प्रबंधक के द्वारा अद्यतन सूचनाएं संधारित नहीं की जा रही हैं तथा कतिपय बिंदुओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न मदों के सहायक रोकड़ बही का अवलोकन किया परंतु कार्यालय के लेखा सहायक के द्वारा सभी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराया गया। उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल को लेखा प्रबंधन दुरूस्त करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन – उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बगहा–1

11.0 बंध्याकरण :–

बंध्याकरण से संबंधित पंजी का अवलोकन किया। पंजी का पृष्ठ प्रमाणपत्र अंकित नहीं पाया गया। पंजी में 427 एवं 428 में उषा देवी का नाम अंकित है। नाम में आशा कार्यकर्ता अंकित है जबकि नाम के सामने अंगूठा का निशान लगाया गया है। उसी प्रकार क्रमांक 431 पर तारा देवी 150 रू0 प्राप्त करने का अंकित है परंतु उसके सामने प्राप्ति कर्ता का हस्ताक्षर नहीं है। उपाधीक्षक इससे संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के माध्यम से प्रषित करेंगे।

अनुपालन :– उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल/अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा।

12.0 जेनरिक दवा दुकान :–

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर सभी अस्पतालों में जेनरिक दवा दुकान स्थापित करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जिस संस्था को यह कार्य दिया गया है उसके द्वारा सामान परिसर में रखा गया है पर दुकान को चालू नहीं किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति के लेखा प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी की ओर से संस्था को नोटिश निर्गत करें। 15 दिनों के अंदर जिला अंतर्गत सभी अस्पतालों में जहां उन्हें काम दिया गया है जेनरिक दवा दुकान प्रारंभ करने का निदेश निर्गत करें। सिविल सर्जन अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन : सिविल सर्जन/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल/जिला लेखा प्रबंधक, स्वास्थ्य।

13.0 जन्म प्रमाण–पत्र :–

अनिवार्य रूप से अस्पताल में पैदा होने वाले सभी बच्चों को जन्म निबंधन प्रमाण–पत्र [illegible] करना है। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वित्तीय वर्ष में अस्पताल में पैदा हुए 5332

बच्चों को शतप्रतिशत जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है। अतः जन्म प्रमाण–पत्र के संबंध में निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं :–

1. बच्चों के जन्म के संबंध में जिस प्रकार जे0बी0एस0वाई0 योजना में प्रविष्टि होती है प्रविष्टि के साथ साथ जन्म पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी तैयार हो और पंजी में उसका सिरियल नं0 भी अंकित हो।

2. बैकलॉग समाप्त करने हेतु अभियान चलाकर प्रमाण–पत्र तैयार कर संबंधित पंचायत के आशा कार्यकर्ता के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य के प्रभार में श्री धीरेन्द्र कुमार, बी0सी0एम0 आशा रहकर इसे सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– बी0सी0एम0 आशा।

14.0 प्रतिवेदन :–

निर्धारित प्रपत्र जो जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उपलब्ध कराया गया है उसमें बी0सी0एम0, आशा मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे जिसके अनुसार आशावार संस्थित प्रसव, परिवार नियोजन तथा RI की विवरणी अंकित होगा।

अनुपालन :– बी0सी0एम0 आशा।

15.0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगहा–1 अंतर्गत वर्ष 2010–11 में प्राप्त एवं व्यय राशि की विवरणी :–

क0	मद का नाम	प्रारंभिक शेष	खर्च	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मुस्कान कार्यक्रम	598000	523300	74700	
2	आशा दिवस	128000	33196	94804	
3	प्रतिरक्षण	206200	206200	शून्य	
4	ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	162000	शून्य	162000	

16.0 ओ0पी0डी में उपलब्ध दवा :–

दिनांक 04.03.2011 को अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा में ओ0पी0डी0 में कुल 26 (छब्बीस) प्रकार की दवा एवं आई0पी0डी0 में कुल 40 (चालीस) प्रकार की दवा उपलब्ध बतायी गयी। निदेश दिया गया कि जरूरतमंद मरीजों को दवा आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें।

17.0 साफ–सफाई :–

अस्पताल परिसर एवं भवन के निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फर्श पर गंदगी जमी हुई है। सीढ़ी एवं बरामदे पर गंदगी है जिसे साफ करने की आवश्यकता है। उपाधीक्षक इस पर विशेष ध्यान दें।

अनुपालन :– उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा।

18.0 अन्यान्य :–

उपाधीक्षक द्वारा बताया गया कि अस्पताल में सात दिनों के लिए अलग अलग रंग का चादर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य समिति आवश्यक कार्रवाई करे। उसी प्रकार सोलर आधारित वाटर हीटर एवं वार्ड में चाईल्ड केयर की स्थापना किया जाना आवश्यक है। अधीक्षक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

अनुपालन :– उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा।

18.0 निष्कर्ष :–

अनुमंडल अस्पताल, बगहा में पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध है। रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जा सकता है। परंतु उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बगहा 1 के बीच संबंध तथा अस्पताल प्रबंधन में विशेष अभिरूचि अपेक्षित है। अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को विशेष प्रगति दिखाने की आवश्यकता है। अस्पताल प्रबंधन के प्रति वे उदासीन हैं। बेहतर कार्य के लिए स्वास्थ्य प्रबंधक एवं बी0सी0एम0, आशा को चेतावनी दिया जाता है।

9/3/11

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 417 /गो0, दिनांक 09/03/2011

प्रतिलिपि : उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगहा 1/स्वास्थ्य प्रबंधक, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगहा–1 को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा/वरीय प्रभारी, बगहा 1 प्रखंड/प्रखंड विकास पदाधिकारी, बगहा–1/प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, प0 चम्पारण, बेतिया/सिविल सर्जन, प0 चम्पारण, बेतिया/जिला लेखा प्रबंधक, स्वास्थ्य/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/11

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 417 /गो0, दिनांक 09/03/2011

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/11

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

(5) 10/3